

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

क्रमांक 12415 / 79 / 2016 / वयन

इन्दौर, दिनांक 11 NOV 2016

// विज्ञापित //

विषय : आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/परीक्षा/2016/दिनांक 18.05.2016 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के लिखित परीक्षा के परिणाम पश्चात् अगिलेख प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश ।

00

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/परीक्षा/2016/दिनांक 18.05.2016 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था । उपरोक्त पदों हेतु ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की गई थी । लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 02.11.2016 को घोषित किया गया है । लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट WWW.mppsc.com एवं WWW.mppsc.nic.in से व्यक्तिगत विवरण पत्रक, अनुप्रमाणन फार्म एवं उपस्थिति पत्रक की प्रति डाउन लोड कर लें ।

02/ निम्नलिखित दस्तावेज दिनांक 05.12.2016 तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करना अनिवार्य हैं :

01. व्यक्तिगत विवरण पत्रक : एक मूल प्रति समस्त कॉलम की पूर्ति कर प्रस्तुत करना है ।
02. अनुप्रमाणन फार्म :- ~~एक~~ मूल प्रति समस्त कॉलम की पूर्ति कर प्रस्तुत करना है ।
03. हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा की अंक सूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
04. विधि के नियमों के अधीन स्थापित भारत की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की अंकसूचियां / उपाधि की प्रति ।
05. विधि के नियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के अधीन पद के विज्ञापन की तारीख (दिनांक 18.05.2016) के पूर्व पंजीकृत (पंजीकरण स्थायी होना अनिवार्य है ।) की प्रति ।
06. मूल निवासी / स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति, उक्त प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक एवं जारी करने का दिनांक एवं गोल सील अंकित होना अनिवार्य है, साथ ही जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम की सील अंकित होना अनिवार्य हैं ।
07. राक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र । विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति । जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक दर्ज होना अनिवार्य हैं, जाति प्रमाण पत्र केवल M0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया ही मान्य होगा ।
08. पहचान प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति) ।
09. शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
10. ऑन लाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति ।

03/ आवेदकों द्वारा भेजे गये समस्त प्रमाण पत्रों की सवीक्षा की जावेगी, जिसमें यह देखा जावेगा कि आवेदक विज्ञापन में विज्ञापित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करते हैं अथवा नहीं, आवेदन पत्रों की सवीक्षा उपरांत जो आवेदक विज्ञापन में विज्ञापित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाईड पर अपलोड किये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदकों को साक्षात्कार दिवस को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति निम्नानुसार प्रस्तुत की जाना होगी :

01. हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा की अंकसूची।
02. विधि के नियमों के अधीन स्थापित भारत की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की अंकसूचिया/उपाधि की प्रति।
03. विधि के नियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन पद के विज्ञापन की तारीख (दिनांक 18.05.2016) के पूर्व पंजीकृत (पंजीकरण स्थायी होना अनिवार्य है।) की प्रति।
04. मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति।
05. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
06. पहचान प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति)।
07. व्यक्तिगत विवरण पत्रक की 05 छायाप्रति, उपस्थित पत्रक की 01 प्रति समस्त कॉलम की पूर्ति कर प्रस्तुत करना है।

04/ पैरा-2 में उल्लेखित दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में आयोग को नहीं भेजे जाते हैं या आयोग को प्राप्त नहीं होते हैं तो यह माना जावेगा कि आप साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं एवं आपकी उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

05/ पैरा 2 में उल्लेखित दस्तावेज दिनांक 05.12.2016 (शाम 05:30 बजे) तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें, अगर डाक विभाग की त्रुटि से या अन्य किसी कारणवश आपको द्वारा भेजे गये अभिलेख निर्धारित समय सीमा के पश्चात् आयोग को प्राप्त होते हैं तो इसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, आपकी साक्षात्कार की उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जावेगी।


अनुभाग अधिकारी